न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 216 / 2022
ऑनलाईन नंबर 2022 / 329

निर्णय दिनांकः 14.12.2022

1. मुन्नीलाल पुत्र भोलूराम 2.सरोज पुत्री मालाराम 3.संतोष पुत्र मालाराम जातियान मेघवाल निवासीगण ठुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिलाबीकानेर।

–प्रार्थीगण–

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर

–अप्रार्थी–

उपस्थितिः–

1. श्री मदनगोपाल स्वामी अभिभाषक वादीगण।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट एवं सपठित धारा 88 आरटीए

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ग्राम ठुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के स्थायी निवासी हैं।प्रार्थीगण की पैतृक संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 404 क्षैत्रफल 11.7500 हैक्टेयर, खेत खसरा संख्या 441 क्षैत्रफल 7.1000 हैक्टेयर, खेत खसरा संख्या 554 क्षैत्रफल 2.5000 हैक्टेयर कुल खसरे तीन कुल क्षैत्रफल 21.3500 हैक्टेयर रोही ग्राम ठुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर मे स्थित है। वादगत खेतों के वर्तमान खसरा संख्या 404 क्षैत्रफल 11.7500 हैक्टेयर, खेत खसरा संख्या 441 क्षैत्रफल 7.1000 हैक्टेयर, खेत खसरा संख्या 554 क्षैत्रफल 2.5000 हैक्टेयर के पुराना खसरा नम्बर क्रमशः खसरा नम्बर 778 / 280, खसरा नम्बर 259, खसरा नम्बर 830 / 349 थे। प्रार्थी संख्या 1 के पिता भोलूराम का देहान्त होने के बाद वादगत खेतों की खातेदारी जरिये विरासतन नामान्तरकरण संख्या 1040 दिनांक 01.12.2004 के प्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी संख्या 1 की माता, भाई–बहन के नाम दर्ज हो गयी।उक्त विरासतन नामान्तरकरण दर्ज करते समय प्रार्थी संख्या 1 का घर में बोलता नाम मनीराम अंकित कर दिया गया जबकि प्रार्थी संख्या 1 का शुद्ध एवं वास्तविक नाम मुन्नीलालहै, जो प्रार्थी के समस्तसरकारी, अर्द्ध सरकारी दस्तावेंजों में अंकितहै। प्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता मालाराम का देहान्त होने के बाद वादगत खेतों में स्थित उनके हिस्से की खातेदारी जरिये विरासतन नामान्तरकरण संख्या 247 दिनांक 12.11.2010 के प्रार्थी संख्या 2 व 3, प्रार्थी संख्या 2 व 3 की माता व भाईयों के नाम दर्ज हो गयी। उक्त विरासतन नामान्तरकरण दर्ज करते समय प्रार्थी संख्या 2 का घर में बोलता नाम काली अंकित कर दिया गया एव प्रार्थी संख्या 3 का घर में बोलता नाम भलूराम अंकित कर दिया गया जबकि प्रार्थी संख्या 2 का शुद्ध एवं वास्तविक नाम सरोज है, एवं प्रार्थी संख्या 3 का शुद्ध एवं वास्तविक नाम संतोष हैंजा प्रार्थी संख्या 2 व 3 के समस्त सरकारी, अर्द्ध सरकारी दस्तावेंजों में अंकितहै। वादगत खेतों के उपरोक्त विरासतन नामान्तरकरण दर्ज करते समय प्रार्थीगण के घर में बोलते नाम मनीराम, काली, भलूराम अंकित कर दिये गये हैं जो अशुद्ध दर्ज हैं जिसे प्रार्थीगण प्रार्थनापत्र के माध्यम से राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाकर क्रमशः मुन्नीलाल, सरोज, संतोष शुद्ध दर्ज करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण वादगत खेतों के खातेदार हैं जो राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध नाम दर्ज करवाने के अधिकारीहै। यह हैं कि प्रार्थीगण ने वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध नाम दर्ज करन हेतू अप्रार्थी से निवेदन किया तो अप्रार्थी ने सक्षम न्यायालय के आदेश के राजस्व रिकार्ड में नाम शुद्ध दर्ज करने से इन्कार कर दिया। अप्रार्थी द्वारा किये गये इन्कार के कारण प्रार्थीगण को अप्रार्थी के विरूद्ध वादहेतू प्राप्त है एव वादगत खेतों के खातेदार काश्तकार होने से प्रार्थीगण को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने आधार प्राप्त है। यह हैं कि प्रार्थीगण ग्राम ठुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के स्थायी निवासीगण हैं एवं वादगत खेत ग्राम ठुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित हैं इसलिए प्रार्थनापत्र मान्नीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार में है।

Divya
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.12.28 14:56:00 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादगत खेत खसरा संख्या 404 क्षैत्रफल 11.7500 हैक्टेयर, खेत खसरा संख्या 441 क्षैत्रफल 7.1000 हैक्टेयर, खेत खसरा संख्या 554 क्षैत्रफल 2.5000 हैक्टेयर कुल खसरे तीन कुल क्षैत्रफल 21.3500 हैक्टेयर रोही ग्राम ठुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थीगण के अशुद्ध नाम मनीराम पुत्र भोलूराम, काली पुत्री मालाराम, भलूराम पुत्र मालाराम को शुद्ध किया जाकर क्रमशः मुन्नीलाल पुत्र भोलूराम, सरोज पुत्री मालाराम, संतोष पुत्र मालाराम दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान किया जावें। अन्य कोई अनुतोष जो हितकर प्रार्थीगण हो या दौराने प्रार्थना पत्र हितकर प्रार्थीगण हो जावें वह भी प्रदान किया जावें।

प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज उपस्थित होकर जवाब पेश किया। बहस सुनी गई। पत्रावली एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा संख्या 404 क्षैत्रफल 11.7500 हैक्टेयर, खेत खसरा संख्या 441 क्षैत्रफल 7.1000 हैक्टेयर, खेत खसरा संख्या 554 क्षैत्रफल 2.5000 हैक्टेयर कुल खसरे तीन कुल क्षैत्रफल 21.3500 हैक्टेयर रोही ग्राम ठुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थीगण के अशुद्ध नाम मनीराम पुत्र भोलूराम, काली पुत्री मालाराम, भलूराम पुत्र मालाराम को शुद्ध किया जाकर क्रमशः मुन्नीलाल पुत्र भोलूराम, सरोज पुत्री मालाराम, संतोष पुत्र मालाराम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में शुद्धि किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 15.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.12.28 14:56:00 IST
Reason: SelfAttested